मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

कमांक एफ/25/83/2004/10-3 भोपाल, दिनांक 15-10-05

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,

समस्त वन मण्डलाधिकारी,

मध्य प्रदेश।

विषयः— वन राजस्व भूमि का सीमांकन।

संदर्भः— मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का पत्र कमांक/230/सी.एस./04/दिनांक 24-7-2004।

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा वन राजस्व भूमियों के सीमांकन के विषय में विस्तृत निर्देश जारी करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस पत्र द्वारा जारी किये गये निर्देशों के पालन की समीक्षा करने पर पाया गया कि सभी जिलों से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तथा अनेक जिलों के लिए वन एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में भिन्नता है।

2/ अतः यह निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह प्रतिवेदन तैयार कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग तथा वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल एवं आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को भेजा जावेगा। प्रत्येक माह का प्रतिवेदन उसके आगामी माह की 12 तारीख तक सर्व संबंधित को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

3/ कृपया संदर्भित पत्र में निर्देशित कार्यवाही को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करावें एवं प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त निर्णय के अनुसार संयुक्त हस्ताक्षर कर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

4/ प्रस्तावित कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा करने पर कार्य में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु विस्तृत टीप संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(इकबाल अहमद)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

(अवनि वैश्य)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग

पृ0 कमांक एफ/25/83/2004/10-3 भोपाल, दिनांक 15-10-2005

प्रतिलिपिः—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्य प्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

(सतीश त्यागी)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, [redacted]

वन–राजस्व भूमि सीमांकन

विधिक प्रावधानः–

- वन–राजस्व भूमि सीमांकन/सर्वेक्षण के पूर्व मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि [illegible] निहित राज्य शासन के अधिकारों तथा भू–अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में सुनिश्चित उपधारणा [illegible] जाना आवश्यक होगा। इन्ही के साथ वन विभाग के अभिलेखों को भी आवश्यक महत्व दिया जायेगा।
- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 (1) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की [illegible] तदनुसार ही इस धारा में यह भी घोषित किया गया है कि समस्त ऐसी भूमियां जिसके अंतर्गत रूका [illegible] हुआ पानी, खानें, खदानें, खनिज तथा वन चाहे वे आरक्षित हों या न हों तथा किसी भूमि की [illegible] अधिकार, राज्य सरकार की संपति है।
- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 117 में यह उल्लेख है कि भू–अभिलेखों में की गई समस्त [illegible] में यह उपधारणा है कि वे सही है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। इसी संदर्भ में [illegible] अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमियों को यथा स्थिति न्यायलयीन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मान्यता दी जायेगी।
- उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व नक्शे में वन सीमा लाइन का अंकन करने के पूर्व वन विभाग के नक्शे में [illegible] गए वन खण्डों की सीमाओं के संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज अर्थात गजट नोटिफिकेशन का होना चाहिए।

सभी वन क्षेत्रों के प्रमाणित दस्तावेज अर्थात गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया जाना एक बहुत बड़ा कार्य [illegible] जिन वन क्षेत्रों के विषय में राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य में विवाद/असहमति हो ऐसे ही वनखंडों के नोटिफिकेशन [illegible] प्राप्त कर कार्यवाही की जाये तो यह कार्य कम समय में किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जहां अधिसूचना [illegible] वहां अन्य अभिलेखों को भी आधार अभिलेख मान्य किया जाना चाहिये।

- भारतीय वन अधिनियम 1927 में मुख्यतः दो प्रकार के वनों का उल्लेख है:–

  आरक्षित वन (Reserved forest)

  संरक्षित वन (Protected forest)

- भारतीय व अधिनियम 1927 की धारा 3 एवं 20 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रस्तावित वन क्षेत्र वेस्ट लैण्ड ([illegible] भूमि) को आरक्षित वन घोषित करती है।
- आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने के लिये वन क्षेत्र अधिनियम 1927 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित वन [illegible] की अधिसूचना जारी की जाती है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2, भारतीय वन अधिनियम 192[illegible] धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित प्रस्तावित वन क्षेत्र को भी वन मान्य करती है।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित वन की अधिसूचना जारी की जाती [illegible]
- उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी ग्राम के नक्शे (राजस्व नक्शे) में यथा स्थिति निम्न चार प्रकार की वन सीमा [illegible] अंकित की जाए:–

  आरक्षित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की अधिसूचना के आधार पर) – [illegible]

संरक्षित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 की अधिसूचना के आधार पर) — हरा रंग

प्रस्तावित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की अधिसूचना के आधार पर) — लाल रंग

अन्य वन क्षेत्र (नारंगी क्षेत्र व अन्य परिभाषित वन आदि) — नारंगी रंग

- राजस्व नक्शों में उपरोक्तानुसार वन सीमा लाइन का अंकन एक समय–सीमा में किया जा सके इसके लिए वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले मे स्थित वन–खण्डों/ वन क्षेत्रों की अधिसूचनाओं को संकलित कर लिया जाय तथा इसकी एक प्रति कलेक्टर को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अंतर्गत जिन वन क्षेत्रों को आगे ' वन क्षेत्र ' नहीं रहने संबंधी अधिसूचनाए जारी की गयी है, को भी संकलित कर इसकी एक प्रति संबंधित कलेक्टरों को उपलब्ध करायी जाय। ताकि तदानुसार राजस्व अभिलेखों को संशोधित किया जा सके। हालॉकि इस संबंध मे आयुक्त भू–अभिलेख कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओ की प्रति संबंधित कलेक्टरों को विधि के प्रकियानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

धारा–34 (अ) की अधिसूचनाओं के आधार पर यह स्थिति भी ज्ञात किया जाना चाहिये कि इन अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्वनीकृत किये हुऐ कितने क्षेत्र राजस्व विभाग को अंतरित हो गये हैं, कितने क्षेत्र अंतरण हेतु शेष है तथा कितने क्षेत्र अंतरण के पूर्व धारा–4 में अधिसूचितहो गये हैं। इन अधिसूचनाओं के आधार पर आज की स्थिति में निर्वनीकृत वन भूमि के अंतरण की कार्यवाही आगामी निर्देश तक नहीं की जायेगी।

इस जानकारी के आधार पर अलग–अलग जिलों में हुई अलग–अलग कार्यवाही एवं जमीनी स्थिति के अनुसार वैधानिक प्रावधानों कें संदर्भ में परीक्षण कर राज्य शासन स्तर से अग्रिम कार्यवाही के निर्देश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु जिलाध्यक्ष तथा वन मंडलाधिकारी से संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय राज्य शासन स्तर पर किया जायेगा।

वन–राजस्व सीमा विवाद निराकरण हेतु विधिक प्रावधानः–

- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित वन से संरक्षित वन घोषित करने तक की विधिक प्रकियाओं को पूर्ण करने के लिए "वन व्यवस्थापन अधिकारी" नियुक्त करने का प्रावधान है। राज्य शासन ने इन्ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन् 1988 से प्रदेश के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को "वन व्यवस्थापन अधिकारी" के रूप मे कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 17 मे यह उल्लेख है कि 'वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व विभाग के कलेक्टर से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष हो सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिये राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें।' राज्य शासन द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना कमांक 10287–3769–10–64 जो मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 20.11.64 पृष्ठ 2765 मे प्रकाशित है, द्वारा जिलाध्यक्षों /कलेक्टरों को अपने क्षेत्रान्तर्गत अपील सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- शासन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे कि वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित ऐसे समस्त प्रस्तावित वन क्षेत्र जिनमे आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र घोषित की कार्यवाही प्रचलित है वह कार्यवाही अधिकतम तीन माह की समय सीमा में पूर्ण कराई जावे।

यदि आरक्षित वन /संरक्षित वन घोषित करने के पश्चात् भी अधिसूचित प्रास्तावित वन क्षेत्र शेष रहता है तो ऐसी भूमियो को वन की परिभाषा मे मुक्त करने का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा तैयार किय जाकर राज्य शासन के माध्यम केन्द्र शासन को प्रेषित किया जाए। केन्द्र शासन की स्वीकृति उपरान्त ऐसी भूमियों की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में की जाए।

- वन व्यवस्थापन अधिकारियों को वन विभाग की और समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्बंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय) को नोडल अधिकारी बनाया जाए तथा राजस्व विभाग की ओर से समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित तहसीलदार को नोडल अधिकारी बनाया जाए।
- राजस्व नक्शे मे वन राजस्व सीमा लाइन निर्धारण पश्चात् वन क्षेत्र के अन्दर पाए जाने वाले समस्त कृषि पट्टे आवासीय पट्टे तथा उत्खनन पट्टे तत्काल सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाए।
- वन–राजस्व सीमा विवाद निराकरण मे "वन व्यवस्थापन अधिकारी" तथा "वन व्यवस्थापन अधिकारी के अधिनस्थ अधिकारी" को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु संबंधित क्षेत्रीय संभाग आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वेक्षण/भू प्रबन्धन) तथा आयुक्त भू–अभिलेख सहित तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया जा सकता है जो आवश्यक पड़ने पर उक्त अधिकारी/प्रकिया मे तकनीकी मार्गदर्शन /सुझाव दे सकेगी।

वन–राजस्व सीमा विवाद निराकरण व्यवहारिक कार्यवाही:–

वन खण्डों की अधिसूचना की जानकारी:–

- वन विभाग द्वारा जिलेवार यह जानकारी वन खण्डवार तैयार की जाय कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामवार/खसरावार किन–किन क्षेत्रो को वन के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। इनमें से कितने क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप मे अधिसूचित किया गया है तथा कितना क्षेत्र अभी प्रस्तावित वन क्षेत्र के रूप मे शेष रह गया है। एवं कितना क्षेत्र वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अंतर्गत वन क्षेत्र से पृथक कर दिया गया है।

सर्व प्रथम वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार भिन्नता वाले वन क्षेत्रो के लिए निम्न प्रपत्र में जानकारी वन विभाग द्वारा तैयार राजस्व विभाग को उपलब्ध कराये जिससे कि उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही हो सके।

(अ) आरक्षित वन खण्ड जिनके खसरा कमांक उपलब्ध नहीं है

आरक्षित वनखण्ड का नाम	सीमा से लगे ग्राम	तहसील	अधिसूचना का कमांक	अधिसूचित क्षेत्रफल	सीमा का विवरण
1	2	3	4	5	6

(ब) आरक्षित एवं संरक्षित वनखण्ड जिनके खसरा कमांक उपलब्ध है

वनखण्ड का नाम	आरक्षित/ संरक्षित	सम्मिलित ग्राम का नाम	तहसील	खसरा कमांक	खसरे का कुल क्षेत्रफल	वनखण्ड में शामिल क्षेत्रफल	वनखण्ड से बाहर किया गया हो -	
							खसरा क	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- उपरोक्तानुसार तैयार जानकारी के आधार पर राजस्व विभाग अपने नक्शे को अद्यतन करें।
- जिन वन खण्डो में आरक्षित या संरक्षित वन अधिसूचित करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है, वहां वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही वन विभाग द्वारा पूर्ण कराई जाए तथा वन खण्डवार अभिलेख एवं नक्शे अद्यतन किए जाए।

वन–राजस्व भूमि सीमांकन कार्य की कार्य आयोजना :–

- विषयांकित प्रकरण में ही कार्यालय मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 24–07–2004 की कंडिका–एक में उल्लेखित बिन्दुओं उक्त वर्णित तथ्यों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रीय समस्याओं का अवलोकन करते हुए प्रत्येक जिले की कार्य योजना तैयार की जाय। कार्य योजना की एक–एक प्रति मध्यप्रदेश शासन वन/राजस्व विभाग तथा एक प्रति आयुक्त भू–अभिलेख को प्रेषित किया जाय।
- कार्य योजना में ही संयुक्त सर्वेक्षण दल, वन व्यवस्थापन अधिकारियों का भी विवरण दिया जाय।

राजस्व नक्शें में वन सीमा लाइन का अंकन:–

- जिन वर्षो में किसी ग्राम की भूमि का प्रस्तावित वन, आरक्षित वन या संरक्षित वन क्षेत्र की अधिसूचना जारी हुई है, उन ग्रामों के पटवारी नक्शे पर या उन वर्षो के पटवारी नक्शों जिस बन्दोबस्त वर्ष के दौरान तैयार किये गए है, उस बन्दोबस्त नक्शों की अनुरेखित प्रति पर कार्यालय में ही वन सीमा लाइन का अंकन कार्य कर लिया जाय। जैसा कि उपर की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है कि ग्रामवार तथा स्थिति निम्न चार प्रकार की वन सीमा लाइन अंकित की जाएगी :–
  - -- प्रस्तावित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
  - -- आरक्षित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
  - -- संरक्षित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
  - -- अन्य वन क्षेत्र (नारंगी क्षेत्र, परिभाषित वन, आदि)

वन–राजस्व भूमि का सीमांकन तथा वन–राजस्व अभिलेखों का संधारण:–

- उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में वन–राजस्व सीमा लाइन अंकन के पश्चात स्थल सर्वेक्षण/ सीमांकन कर स्थल पर वन सीमा लाइन का निर्धारण किया जाय।
- स्थल पर वन–राजस्व सीमा लाइन निर्धारण पश्चात मुनारों का निर्माण तथा वन एवं राजस्व नक्शों में पुनः प्रतिस्थापन।

- उपरोक्तानुसार सधारित राजस्व नक्शे का वन विभाग तथा राजस्व विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल के प्रभारी [illegible] रेंजर तथा तहसीलदार स्तर से निम्न स्तर के नहीं होंगे, द्वारा प्रमाणित किया जावेगा जिसका अभिप्रमाणन [illegible] व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- उक्त राजस्व नक्शे दो प्रतियों में तैयार करायी जायेगी जो उपरोक्तानुसार ही प्रमाणित/ अभिप्रमाणित की [illegible] इसकी एक प्रति जिला अभिलेखागार तथा दूसरी प्रति वन विभाग के अभिलेखागार में रखी जायेगी।
- उक्त राजस्व नक्शे के आधार पर ही चालू पटवारी नक्शे मे भी वन सीमा लाइन का अंकन किया जाकर उपरोक्ता [illegible] ही प्रमाणित किया जायेगा।
- ग्राम नक्शे में वन सीमा लाइन निर्धारण के पश्चात वन सीमा लाइन के अंदर पाये जाने वाले समस्त कृषि पट्टे, [illegible] पट्टे तथा आवासीय पट्टों को विधि एवं प्रक्रियानुसार तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- ग्रामवार मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के नाम से पृथक अधिकार अभिलेख भी संधारित की जाय जो संबंधित [illegible] व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी। इसके आधार पर चालू वर्ष के खसरा में वन विभाग से संबंधित भूमि [illegible] खसरा नंबरवार प्रविष्टी की जाय तथा तदनुसार बी–1 भी संधारित की जाय।
- राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य से वन सीमा लाइन के अंदर किसी भी प्रकार के पट्टे का बंटन न किया जाय।

संयुक्त सर्वेक्षण दलों का गठनः–

- वन–राजस्व सीमा विवाद निराकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के लिए प्रत्येक जिलें में आवश्यकतानुसार एक [illegible] दो दस सदस्यीय दल का गठन किया जाय जिसमें वन तथा राजस्व विभाग के 5–5 कर्मचारी होंगे। प्रत्येक [illegible] राजस्व विभाग के 4 राजस्व निरीक्षक, एक अनुरेखक तथा वन विभाग से 4 सहायक वन क्षेत्राधिकारी एवं एक मानचित्रकार/ अनुरेखक रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस दल में संबंधित ग्राम का पटवारी तथा संबंधित [illegible] गार्ड भी सहयोग के लिए रहेंगे।

  राजस्व विभाग की ओर से दल का नेतृत्व अधीक्षक भू–अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख स्तर के अधिकारी करेंगे तथा वन विभाग की ओर से संबंधित वन खण्ड/ वन परिक्षेत्र के रेंजर स्तर के अधिकारी करेंगे।
- सर्वेक्षण दल सर्वेक्षण/ सीमांकन की प्रक्रिया में उपरोक्त वर्णित कण्डिकाओं के अनुसार या क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरुप विधि एवं प्रक्रियानुसार जो भी आवश्यक अभिलेख तथा नक्शा तैयार करेगा उसका अभिप्रमाणन संबंधित [illegible] व्यवस्थापन द्वारा किया जायेगा।
- प्रत्येक जिले में वन राजस्व क्षेत्र सीमांकन/ सर्वेक्षण की कार्यवाही कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी के संयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

कार्य प्रगति की समीक्षा

- प्रश्नाधीन कार्य की समीक्षा जिला स्तर पर प्रति माह संयुक्त रूप से कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा किया जाय तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रगति पत्रक प्रारूप में प्रति माह की कार्य प्रगति की एक प्रति संभागीय आयुक्त तथा आयुक्त भू–अभिलेख को प्रेषित की जाय।
- संभागीय आयुक्त तथा मुख्य वन संरक्षक द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत समस्त जिलों के कार्य प्रगति की समीक्षा भी प्रति माह की जाय तथा कार्य प्रगति की एक–एक प्रति प्रमुख सचिव, वन/ राजस्व तथा आयुक्त भू–अभिलेख को प्रेषित की जाय।
- उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा प्रदेश की कार्य प्रगति संकलित की जाकर शासन को प्रति माह प्रेषित की जायेगी।

वन–राजस्व भूमि सीमांकन प्रतिवेदनः–

- वन–राजस्व भूमि सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने के उपरांत इस संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जिसमें जिले का सम्पूर्ण वन क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण, भूमि सीमांकन तथा विवादों के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही के विवरण समाहित हों, कलेक्टर/ वन मण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तैयार किया जाय। इस प्रतिवेदन की एक–एक प्रति संबंधित जिलों में, एक–एक प्रति संभागीय स्तर कार्यालयों, एक प्रति आयुक्त भू–अभिलेख कार्यालय तथा एक–एक प्रति वन तथा राजस्व विभाग में रखी जाय।

आयुक्त
भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश